(5)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 72 / 2021 दायरा दिनांक 25-10-2021

GCMS CASE NO-2021/72

1. यूनस अली पुत्र सुलेमान खॉ जाति मुसलमान निवासी सूरतगढ तहसील सूरतगढ

–अपीलांटगण

वनाम

1. राजस्थान सरकार वजरिये प्रतिनिधि भू–धारक तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
2. अब्दुल सतार
3. अब्दुल अजीज
4. चांद मोहम्मद
5. फातमा वानू

पुत्रगण / पुत्री सुलेमान खॉ अकवाम मुसलमान निवासीयान सूरतगढ

–रेस्पोडेंटगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री धर्मपाल सिहाग, अधिवक्ता, अपीलांट
2. पैराकार राज, रेस्पोडेंट न0 1

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: दिनांकः–23 .10.2024

1. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 15.04.2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपीलांट जरिये अपील निवेदन किया है कि अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न0 355 / 6 में 25.00 बीघा भूमि को टीसी मानकर खारिज कर दिया गया। अपीलांट के पिता को रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 355 / 6 की 25.00 बीघा भूमि टीसी आवंटन होकर कब्जा काश्त में चला आ रही थी। उक्त रकबा अपीलांट के पिता को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत आवंटन किया गया था। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत आवंटित टीसी भूमि की शर्तो की पालना करने पर पुख्ता करने का प्रावधान है। अपीलांट के पिता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। आवंटन से लेकर आज भी उक्त रकबा पर काविज होकर लगातार काश्त करता आ रहा है। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:36:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट के पिता को आवंटित रकबा खारिज कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दिए गए जो काबिल निरस्ती है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मपाल सिहाग उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट 01 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये।

4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील आदेश में मात्र एक पटवारी की रिपोर्ट को आधार माना गया है कि रकबा पैराफेरी में आता है। पैराफेरी का रकबा राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार काबिल खारिज के मान लिया गया। जबकि उक्त रकबा की ना तो पैमाईश की गई व ना ही नगरपालिका परिधि से कितना दूर है मात्र अपने ही कयासों को आधार मान कर जैर अपील रकबा खारिज करने का निर्णय दिनांक 15.04.2006 को पारित कर दिया गया।अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल के लिए दिनांक 22.10.2021 को प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिस पर दिनांक 25.10.2021 को नकल प्राप्त होने पर बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझकर अपील देरी से पेश नही की गई है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा एकतरफा तौर पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. रेसपोडेंटस संख्या 1 ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का खण्ड्न करते हुए लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील लगभग 16 वर्ष पश्चात पेश की है जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट को जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना गया था। अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह सन्तोष जनक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह भी संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा लिखित जवाब पेश करते हुए कथन किया कि अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न0 355/6 में 25.00 बीघा भूमि को टीसी मानकर खारिज कर दिया गया। अपीलांट के पिता को रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 355/6 की 25.00 बीघा भूमि टीसी आवंटन होकर कब्जा काश्त में चला आ रही थी। उक्त रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 10:38:50 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट के पिता को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत आवंटन किया गया था। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत आवंटित टीसी भूमि की शर्तों की पालना करने पर पुख्ता करने का प्रावधान है। अपीलांट के पिता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। आवंटन से लेकर आज भी उक्त रकबा पर काबिज होकर लगातार काश्त करता आ रहा है। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के पिता को आवंटित रकबा खारिज कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दिए गए जो काबिल निरस्ती है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 15.04.2006 एक प्रिंटेड फार्म है जिसमें मात्र अपीलांट के पिता का नाम व रकबा का वर्णन किया गया है। अदालत मातहत ने निर्णय करते समय माईंड एल्लाई नहीं किया मात्र प्रिंटेड फार्म पर रकबा लिख कर जैर अपील आदेश पारित कर दिया । जबकि अदालत मातहत को उक्त रकबा बाबत् स्वयं मौका जांच करनी चाहिए थी। मात्र एक पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर व राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2006, व 8.2. 2006 द्वारा ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पैराफेरी में आती है इस भूमि का न ही तो नवीनीकरण किया जा सकता है न ही पुख्ता या खातेदारी दी जा सकती है। राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्त 1955 की शर्तों व राजस्थान भू राजस्व अधीनियम 1996 के अंतर्गत उक्त रकबा खारिज करने के आदेश दिये। जबकि राज्य सरकार का परिपत्र उक्त भूमियों के सम्बंध में नहीं था। मात्र परिपत्र का हवाला देकर अपीलांट का आवंटित रकबा को खारिज कर दिया। इसलिए अपील स्वीकार योग्य है। अपीलाधीन आदेश नान स्पीकिंग आदेश की श्रेणी का है। जैसा कि आरबीजे 2003 पेज 162 पर माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ से निर्णित किया है। अपीलांट का पेशा काश्तकारी है। उक्त आवंटित भूमि पर प्रतिवर्ष काश्त कर रहा है। राज्य सरकार का नोटिफिकेशन दिनांक 10.08.1998 कमांक 3(29)34/86 मंत्रीमण्डलीय आज्ञा संख्या 68/98 दिनांक 20.07.1998 के अनुसार उक्त वर्णित परिपत्र के पैरा संख्या 4 के अनुसार जो व्यक्ति भूमिहीन है तथा नियमों के अंतर्गत अन्यथा भूमि के आवंटन के पात्र है तथा 15.01.1987 को या इससे पूर्व ऐसे भूमि के अस्थाई पटटा धारक है तथा इन आदेशों के जारी होने की दिनांक को भी भूमि पर काबिज है। चाहे ऐसी लीज का नवीनीकरण हुआ या नहीं हुआ उसकी लीज किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं है ऐसे अस्थाई पटटा धारकों या उनके काबिल पुत्रों को आवंटन किया जा सकेगा यदि कोई पट्टा धारक था या कि मृत्यु होने कि स्थिती में उनके उत्तराधिकारी भी नियमों के अन्य शर्तों के अध्याधीन आवंटन के पात्र होने व अस्थाई आवंटन पट्टा शर्ते 1955 की शर्त (छ) में स्पष्ट है कि अस्थाई पट्टा धारक के उत्तराधिकारी हित धारक होंगे रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत नजीरें वार्ड बाई ला हो चुकी है उक्त नजीरें हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होती। राज्य सरकार अधिसूचना संख्या एफ 3(29) कोलों 86 दिनांक 26.11.2004 जो राजपत्र दिनांक 03.01.2005 को प्रकाशित हुई कि अस्थाई कृषि पट्टा आवंटन को निरस्त नहीं किया गया है तो स्थाई आवंटन से इंकार नही किया जा सकता है। रोही कस्बा सूरतगढ वर्ष 2007 में उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर कर दिया गया पूर्व में रकबा कालोनी क्षेत्र में होने के कारण आवंटन नियम 1955 के तहत आवंटन किया गया था राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार उक्त रकबा दिनांक 18.10.2007 को डी कालोनी क्षेत्र घोषित कर दिया गया जिस कारण अपीलांट का रकबे का आवंटन भू राजस्व अधिनियम 1970

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Gongara
Date: 2024.10.28 12:36:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

के अंतर्गत आ गया और आवंटन नियम 1970 के नियम 18 में संशोधन कर राज्य सरकार के परिपत्र विभागीय अधिसूचना एफ 9 (15)रे.वे.6/पार्ट 33 जयपुर दिनांक 21.06.2007 के अनुसार उक्त नियमों में संशोधन कर शहरी क्षेत्र के पैराफेरी क्षेत्र में आई भूमियों का नियमानुसार खातेदारी जारी किये जाने के परिपत्र जारी किया गया। नियम 18 का उक्त नियमों के नियम 18 में संशोधन के उपनियम(4)का अतः स्थापित किया जावेगा। ऐसी भूमियों का आवंटन के समय अधिनियम की धारा 90 ख में वर्णित नगरीय क्षेत्र की नगर योग्य सीमा के भीतर या पेराफेरी सीमा के भीतर नहीं थी तत्पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण नगर सुधार न्यास निगय या नगर परिषद के नगरीय क्षेत्र की नगरीय योग्य सीमा या परिधि क्षेत्र में सम्मिलित कर दी गई है तो ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार केवल राज्य सरकार पूर्व अनुमोदन से जिला स्तरीय समिति द्वारा उस क्षेत्र यथा अवधारित भूमि के आधार मूल्य की 20 प्रतिशत रूपये संदाय करने पर खातेदारी अधिकार प्रदत किये जावेंगे और भूमि नगर बोर्ड की नगरीय सीमा या परिसीमा क्षेत्र के पश्चात सम्मिलित होने की दशा में खातेदारी अधिकार खण्ड आयुक्त के पूर्व अनुमोंदन से जिला स्तरीय समिति द्वारा उस क्षेत्र के लिए अवधारित भूमि के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत संदाय करने पर प्रदत किये जायेंगे तत्पश्चात राज्य सरकार से परिपत्र राज्य ग्रुप –69(15 आरईबी) खण्ड आयुक्त अनुमोदन की जगह उक्त अधिकार जिला कलक्टर को निहित कर दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है। आवंटन शर्ते अस्थाई पट्टा काश्त शर्ते 6(4) के तहत तहसीलदार सलाहकार समिति की सलाह से आवंअन करेगा शर्त संख्या 19–ए ता ई अभीधरती का प्रर्थवसान के प्रावधान दिये गये है कि शर्त संख्या 19 के प्रदत शर्तो की पालना नहीं करने पर कलैक्टर को पट्टा निरस्त करने की शक्ति है। शर्त संख्या 19 के तहत शक्ति जिला कलक्टर में निहित है। आर आरडी 1992 पेज 117 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की एकलपीठ के निर्णय किया है कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया निर्णय शून्य करणीय नहीं बल्कि शून्य है। अपीलांट को मुताबिक कानून टीसी आवंटन की थी जो लगातार नवीनीकरण होती जा रही है और अपीलांट द्वारा लगातार मालकाना अदा किया जाता रहा अपीलांट का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का क्षेत्राधिकार विहीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

8. रेस्पोडेंट संख्या 01 राजपैरोकार ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार भू.अ. सूरतगढ द्वारा नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाते हुए आवंटित भूमि को खारिज की है। अपीलांट को सुनवाई हेतु न्यायालय तहसीलदार भू.अ. सूरतगढ द्वारा अपीलार्थी को जरिये नोटिस सूचना जारी की गई वरवक्त तामीली अपीलार्थी के फौत होने पर उनके वारिसान को करवा दी गई थी। अपीलांट के वारिसानो को तामील करवाया गया जिसका जवाब अपीलांट के वारिसान बिस्मिल्ला बेगम धर्मपत्नि स्व0 सुलेमान द्वारा दिया गया।आवंटी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त हेतु आवंटन भूमि पर गैर कृषि कार्य करने के कारण नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाते हुए आवंटी को आवंटिति भूमि खारिज की गई। अतः अपील अपीलांट निरस्ती योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:36:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलांट के पिता को रोही करवा सूरतगढ़ के खसरा न. 355/6 की 25.00 बीघा भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टीसी) पर आवंटन हुई। मूल आवंटी को टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया गया था उक्त टीसी आवंटन को पुख्ता करवाने हेतु अपीलांट द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा ना ही अपीलांट का टीसी आवंटन पुख्ता हुआ है। अपीलांट का टीसी खारिज होने के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे उसका कब्जा काश्त साबित हो, जबकि टीसी आवंटन के लिए निरंतर कब्जा काश्त होना अतिआवश्यक था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलांट का कब्जा काश्त साबित नहीं होता है, इस प्रकार अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन की शर्तो की अक्षरक्षः पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ द्वारा सरकार बनाम सुलेमान पुत्र नूर मोहम्मद में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2006 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:36:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner